

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 540 / 2016

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 540 / 2016

संस्थापित दिनांक 02 / 09 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. ओमकार जाटव पुत्र बालमुकुन्द जाटव उम्र 27 वर्ष
  2. सतेन्द्र जाटव पुत्र बालमुकुन्द जाटव उम्र 21 वर्ष
  3. बैजन्ती पत्नि बालमुकुन्द जाटव उम्र 54 वर्ष
- निवासीगण— ग्राम बसारा वार्ड क0 16 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 323, 506 भाग—2 भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्रीमती हेमलता आर्य।)

(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री पी0एन0 भट्टे।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 24.04.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 02.08.2016 को 20:30 बजे फरियादी शीला बघेल के मकान के सामने गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी शीला बघेल को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी शीला को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी शीला की लातघूंसे एवं डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 323 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2016 को रात्रि के साढ़े आठ बजे ओमकार जाटव ने फरियादी शीला की लाईट का तार काट लिया था तो शीला ने ओमकार से कहा था कि तार क्यों काटा, इसी बात पर आरोपी ओमकार, सतेन्द्र एवं बैजन्ती फरियादी शीला को मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे थे, जब फरियादी ने आरोपीगण को गालियां देने से मना किया था तो तीनों आरोपीगण ने लात घूंसे एवं डंडे से उसकी मारपीट की थी, जिससे उसके दाहिने पैर, दाहिने हाथ

व शरीर में चोटें आई थी। मौके पर इन्द्रभान एवं मंगल ने घटना देखी थी और उसे बचाया था। जाते समय तीनों आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र० 219/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.08.2016 को 20:30 बजे फरियादी शीला बघेल के मकान के सामने गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी शीला बघेल को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शीला बघेल को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिन्नास कारित किया ?
3. क्या घटना दिनांक को फरियादी शीला बघेल के शरीर पर उपहतियां थी ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
4. क्या उक्त उपहतियां फरियादी शीला बघेल को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गई ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी शीला अ०सा० 1, इन्द्रभान अ०सा० 2, रामौतार अ०सा० 3, मंगल शर्मा अ०सा० 4 एवं डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

##### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शीला अ०सा० 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 1 साल पहले की रात्रि के करीब साढ़े आठ बजे की है। घटना वाले दिन ओमकार एवं सतेन्द्र उसकी लाइट का तार काट रहे थे। उसने तार काटने से मना किया था तो आरोपी वैजन्ती, सतेन्द्र एवं ओमकार ने उसे मां बहन की गाली दी थी, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 ने भी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। साक्षी रामौतार अ०सा० 3 एवं मंगल शर्मा अ०सा० 4 द्वारा उक्त बिन्दु पर कोई कथन नहीं किया गया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 एवं इन्द्रभान अ0सा0 2 ने अपने कथन में आरोपी वैजन्ती, सतेन्द्र एवं ओमकार द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस आरोपी ने वास्तविक रूप से कौन से अश्लील शब्द उच्चारित किये थे, जिन्हें सुनकर फरियादी को क्षोभ कारित हुआ था। जहां कई आरोपीगण पर गालियां दिये जाने का आरोप हो, वहां साक्षी मात्र यह कह देना पर्याप्त न होगा कि सभी आरोपीगण ने गालियां दी थी। साक्ष्य प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप की होनी चाहिए। सभी आरोपीगण के विरुद्ध सामान्य स्वरूप की साक्ष्य स्वीकार योग्य नहीं होगी। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 एवं इन्द्रभान अ0सा0 2 ने सभी आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द अभिव्यक्त किये थे, ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 294 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं अतः आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भादं0 की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्र0 02

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शीला अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण ने उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। इन्द्रभान अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि “ अभी तो कम मारा है, आगे और मारेगे।”

10. इस प्रकार फरियादी शीला अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि तीनों आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वास्तविक रूप से किस आरोपी ने क्या कहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 को प्रमाणित होने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो एवं उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो, मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 के संगठक पूर्ण नहीं होते हैं एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

#### विचारणीय प्रश्न क्र0 03

11. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 02.08.2016 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक नारायण सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत शीला का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसे शीला के शरीर पर तीन चोटें पाई थी। जिनमें से चोट क्र0 1 दायी जांघ पर नीलगू निशान, चोट क्र0 2 दाये घुटने पर छिले का घाव एवं चोट क्र0 3 दाहिनी कलाई पर छिले का घाव पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी, जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व 6 घंटे के अंदर की थी। चोट क्र0 1 एवं 3 की प्रकृति जानने के लिए उसने एक्स-रे की सलाह दी थी। शेष सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 03.08.2016 को आहत शीला का एक्स-रे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान शीला के कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया था। उसकी एक्स-रे रिपोर्ट प्र0पी0 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटे दुर्घटना में आना संभावित है।

12. फरियादी शीला अ0सा0 1 ने भी अपने कथन में मारपीट में उसे हाथ एवं सिर में चोट आना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने उसके हाथ, पैर, सिर एवं दाहिने पोहचा में चोट आना बताया है। साक्षी इन्द्रभान अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में फरियादी शीला अ0सा0 1 के मारपीट के दौरान जांघ, हाथ एवं सिर में चोट आना बताया है। रामौतार अ0सा0 3 ने भी शीला के हाथ पैर में चोट आना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन घटना दिनांक को फरियादी शीला के शरीर पर चोटे होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी शीला के शरीर पर चोटे होने का उल्लेख है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी शीला अ0सा0 1 का कथन प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। उक्त बिन्दु पर फरियादी शीला अ0सा0 1 के कथन का समर्थन डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5 द्वारा भी किया गया है। डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 5 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं। उसकी फरियादी से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी शीला अ0सा0 01 के शरीर पर चोटे होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

13. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी शीला के शरीर पर उपहतियां थी जिनकी प्रकृति साधारण थी।

#### विचारणीय प्रश्न क्र0 04

14. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त उपहतियां फरियादी शीला को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई थी? उक्त संबंध में फरियादी शीला अ0सा0 01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग 1 साल पहले रात्रि के करीब साढ़े आठ बजे की है। घटना वाले दिन ओमकार एवं सतेन्द्र उसकी लाइट काट रहे थे, उसने तार काटने से मना किया था तो आरोपी बैजन्ती, सतेन्द्र एवं ओमकार ने उसे मां बहन की गालियां दी थी एवं तीनों आरोपीगण से डंडो तथा लातघूंसां से उसकी मारपीट की थी। ओमकार ने उसके एक डंडा मारा था, जो उसके हाथ में लगा था एवं एक डंडा उसके सिर में लगा था। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र0पी0 1 है, जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। पुलिस दूसरे दिन उसके घर पर आई थी। नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था।

15. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब पुलिस आई थी तब उसके व उसके पति के अलावा आस पड़ोस का कोई व्यक्ति नहीं था। उसके पैर, हाथ, सिर एवं पीठ में चोटे आई थी। उसके पैर में कूल्हे में चोट आई थी व हाथ में दाहिने पोहचा में चोट आई थी। पद क्र0 3 में उक्त साक्षी का कहना है जब पुलिस आई थी तब वह बेहोश हो गई थी, उसे पुलिस वाले गाड़ी में रखकर ले गये थे। उसे थाने में होश आया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब उसे होश आया था तब पुलिस रिपोर्ट लिख चुकी थी। उसका तो अंगूठा करवा लिया था। रिपोर्ट में क्या लिखा



था, उसे नहीं बताया था। पद क्र० 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी मारपीट लाठी, डंडे, घूंसे एवं पत्थरों से की थी। उसे पत्थर वैजन्ती बाई ने मारे थे जो उसके सिर में लगे थे, खून नहीं निकला था। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से पहले से मनमुटाव चल रहा है एवं उसका आरोपीगण के यहां आना जाना नहीं है। पद क्र० 5 में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह साड़ी में उलझकर पत्थरों पर गिर गई थी, जिससे उसके चोटे आई थी।

16. साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 एवं रामौतार अ०सा० 3 ने भी आरोपीगण द्वारा शीला की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

17. साक्षी मंगल शर्मा अ०सा० 4 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसके सामने एक्सीडेंट हुआ था। अन्य किसी घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने शीला की मारपीट की है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसे इन्द्रभान ने बताया था कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है।

18. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी ओमकार एवं सतेन्द्र उसकी लाइट का तार काट रहे थे, उसने आरोपीगण से तार काटने के लिए मना किया था तो आरोपी बैजन्ती, सतेन्द्र एवं ओमकार ने उसकी लातघूंसें एवं डंडों से मारपीट की थी। ओमकार ने उसके हाथ, पैर एवं सिर में डंडे मारे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि जब पुलिस आई थी तब वह बेहोश हो गई थी, पुलिस वाले उसे गाड़ी में रखकर ले गये थे, उसे थाने में होश आया था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख कि वह मारपीट में बेहोश हो गई थी तथा पुलिस उसे थाने लेकर गई थी प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी शीला अ०सा० 1 का कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से किंचित विरोधाभासी रहा है परन्तु यह मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति इस कारण से कि उसके कथनों पर अधिक विश्वास किया जाये, घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है परन्तु यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सच एवं झूठ के मिश्रण में से सच को पृथक करे, मात्र उक्त आधार पर फरियादी के सम्पूर्ण कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

20. फरियादिया शीला अ०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि जब उसे होश आया था तब पुलिस रिपोर्ट लिख चुकी थी, उसका तो अंगूठा लगवा लिया था। रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसे नहीं बताया था। इस प्रकार फरियादिया शीला अ०सा० 1 द्वारा यह बताया गया है कि

प्र०पी० 1 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी शीला अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में प्र०पी० 1 में वर्णित तथ्यों को पूर्णतः प्रमाणित किया गया है। फरियादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष वहीं घटना बताई गई है, जो प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में वर्णित है। फरियादिया द्वारा प्र०पी० 1 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगूठा होना भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में फरियादिया अ०सा० 1 के उक्त कथन से भी अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

21. फरियादिया शीला अ०सा० 1 ने अपने कथन में तीनों आरोपीगण द्वारा उसकी डंडे एवं लात घूंसे से मारपीट करना बताया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है। जहां तक साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2, रामौतार अ०सा० 3 एवं मंगल शर्मा अ०सा० 4 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी मंगल शर्मा अ०सा० 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने शीला की मारपीट की थी। इस प्रकार इन्द्रभान अ०सा० 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

22. साक्षी रामौतार अ०सा० 3 ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि उसे शीला ने आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में बताया था। फिर वह अपनी पत्नि को लेकर थाने गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जो जानकारी उसकी पत्नि ने उसे दी थी, उसी आधार पर वह बयान दे रहा है। इस प्रकार रामौतार अ०सा० 3 के कथनों से यह दर्शित है कि रामौतार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त साक्षी ने आरोपीगण को मारपीट करते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा फरियादिया शीला के बताये अनुसार कथन दिये गये हैं।

23. जहां तक साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि तीनों आरोपीगण ने उसकी मां की मारपीट की थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि जब वह घर के बाहर आया था तो आरोपीगण भाग गये थे, उसे नहीं मिले थे। जब वह घर के बाहर आया था तो उसकी मां घर के बाहर बेहोश पड़ी थी। इस प्रकार साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 के कथनों से भी यही दर्शित होता है कि इन्द्रभान अ०सा० 2 ने भी आरोपीगण को शीला की मारपीट करते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं एवं स्वतंत्र साक्षी मंगल शर्मा अ०सा० 4 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि साक्षी इन्द्रभान अ०सा० 2 एवं रामौतार अ०सा० 3 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं एवं मंगल शर्मा अ०सा० 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों की स्वतंत्र

साक्षियों से सम्पुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है। यदि फरियादी के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हो तो मात्र इस आधार पर फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसके कथनों की सम्पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादी शीला अ0सा0 1 के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि स्वतंत्र साक्षी द्वारा फरियादी शीला अ0सा0 1 के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0 5 ने यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटे दुर्घटना में आना संभावित है, यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। डॉ० आलोक शर्मा अ0सा0 5 चिकित्सकीय विशेषज्ञ है एवं उक्त साक्षी द्वारा मात्र यह राय प्रकट की गई है कि आहत को आई चोटे दुर्घटना में आना संभावित है, उक्त साक्षी का ऐसा कहना नहीं है कि फरियादी शीला को आई चोटे मारपीट में नहीं आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त फरियादी शीला अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे पत्थर पर गिरने से चोटे आई थी। यद्यपि आरोपीगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि फरियादी शीला को आई चोटे दुर्घटना में कारित हुई थी परन्तु लिये गये बचाव के संबंध में कोई प्रमाण आरोपीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादिया शीला को आई चोटे किसी दुर्घटना में कारित हुई थी एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

26. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादिया द्वारा आरोपीगण को रंजिशन अपराध में मिथ्या संलिप्त किया गया है। यद्यपि फरियादिया शीला अ0सा0 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में यह स्वीकार किया गया है कि उसका आरोपीगण से पूर्व से मनमुटाव चल रहा है, यदि यह मान भी लिया जाये कि फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है। यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादी की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक एवं विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेख एवं विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक एवं विवेचक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शीला अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में आरोपी बैजन्ती, सतेन्द्र एवं ओमकार द्वारा उसकी लात घूँसों एवं डंडों से मारपीट करना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी शीला अ0सा0 1 का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। साक्षी इन्द्रभान अ0सा0 2 ने भी फरियादी शीला को घटना के तत्काल बाद घायल अवस्था में देखना बताया है। फरियादी शीला अ0सा0 1 द्वारा घटना की रिपोर्ट यथाशीघ्र थाने पर की गई है, फरियादी शीला अ0सा0 1 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है एवं जहाँ फरियादी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट हो, वहाँ फरियादी के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

29. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी शीला की मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।

30. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी शीला को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य लाईट के तार काटने के उपर विवाद हुआ था एवं उक्त विवाद के कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी शीला की डंडे से एवं लात घूँसों से मारपीट की गई थी। मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से एवं जिस आयुद्ध से फरियादी शीला की मारपीट की जा रही है उससे फरियादी को उपहति होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादी को उपहति कारित की गई थी ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी शीला को स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.08.2016 को 20:30 बजे फरियादी शीला बघेल के मकान के सामने गोहद में फरियादी शला बघेल की लात घूँसों एवं डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी ओमकार जाटव, सतेन्द्र जाटव एवं वैजन्ती को को भा0दं0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत दोषी पाती है।

32. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी ओमकार जाटव, सतेन्द्र एवं बैजन्ती को भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा 323 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

33. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0



पुनश्च: —

34. आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

35. आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादी की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपीगण वर्ष 2016 से विचारण की पीढ़ा को झेल रहे हैं, फरियादी शीला की चोटे भी साधारण प्रकृति की हैं। अतः फरियादी शीला की चोटों की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः यह न्यायालय आरोपी ओमकार जाटव, सतेन्द्र जाटव एवं बैजन्ती में से प्रत्येक को भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं आठ-आठ सौ रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर पंद्रह-पंद्रह दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

36. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा किये जाने पर उक्त अर्थदण्ड की राशि में से द0प्र0सं0 की धारा 357(1) के अंतर्गत फरियादी शीला को 1500/- रूपए प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

37. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

38. प्रकरण में जप्तशुदा बबूल का डंडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़ तोड़कर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

39. आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 द. प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है।

स्थान — गोहद

दिनांक — 24/04/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र  
क उपयोग